भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 682

28 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियों

682. **श्री वामसि कृष्णा गद्दामः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की क्या करेंगे किः

(क) क्या हमारे देश में प्रतिदिन लगभग 160,000 टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 35% का ही वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण किया जाता है, और यदि हां, तो प्रसंस्करण दर कम होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली और मुंबई जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में लैंडफिल क्षमताओं का आकलन किया है और अत्यधिक बोझ वाले लैंडफिल से पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी खतरों को दूर करने के लिए उपाय किए हैं, और उनके परिणाम क्या रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के शहरों में अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं और विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का विस्तार करने की कोई प्रस्तावित योजना है और यदि हां, तो इनमें अनुमानित निवेश और पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और

(घ) स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहलों के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): देश के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कुल 1,61,910 टन (टीपीडी) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसमें से 1,29,949 टीपीडी का प्रसंस्करण किया जाता है, अर्थात 2014 में 16% अपशिष्ट प्रसंस्करण की तुलना में वर्तमान प्रसंस्करण की क्षमता बढ़कर 80.26% हो गई है।

(ख) : दिल्ली और मुंबई सहित देश के प्रमुख शहरी केंद्रों में शोधन के लिए कुल 2417 डंपसाइट (1000 टन से अधिक कचरे वाला) 24.88 करोड़ मीट्रिक टन कचरे की पहचान की

गई है, जो सामूहिक रूप से 14,732.66 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें से 641 डंपसाइट का पूर्ण रूप से शोधन किया जा चुका है और 1144 साइटों पर काम चल रहा है। कुल 12.66 करोड़ मीट्रिक टन (51%) कचरे का शोधन किया जा चुका है और 5694.86 एकड़ (39%) भूमि को पुनः प्राप्त किया जा चुका है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत, 3697.90 करोड़ रुपये की स्वीकार्य केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 9197.35 करोड़ रुपये के शोधन प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

इन परियोजनाओं को समय पर और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पूर्ण करने में शहरों की सहायता करने के लिए, पुराने कचरे के ढ़ेर के निपटान के लिए दिशानिर्देश और लैंडफिल रिक्लेमेशन पर परामर्शिका राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की गई है। इसके अलावा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा मॉडल अधिप्राप्ति दस्तावेज तैयार किए गए हैं और बोली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। पारदर्शिता और परियोजना निगरानी के लिए https://swachhurban.org पर एक सार्वजनिक डैशबोर्ड भी लाइव डेटा कैप्चर करता है।

(ग): देश के शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) को बेहतर बनाने के लिए एसबीएम-यू 2.0 के तहत सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), ट्रांसफर स्टेशन, खाद संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) और अपशिष्ट से बिजली और जैव-मीथेनेशन संयंत्रों सहित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों जैसी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के आधार पर केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत सुविधाओं सहित एसडब्ल्यूएम संयंत्रों के उपयुक्त प्रकारों के संबंध में निर्णय लेते हैं।

एसबीएम-यू के तहत, पूरे मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र का कुल वित्तीय परिव्यय 62,009 करोड़ रुपये है, जिसमें 14,623 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत, मिशन अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का कुल वित्तीय परिव्यय 1,41,600 करोड़ रुपये है, जिसमें 36,465 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता शामिल है।

(घ): एसबीएम-यू 2.0 मिशन आवंटन में शौचालय निर्माण, एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम), आईईसी और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। राज्यवार मिशन आवंटन और जारी/उपयोग की गई धनराशि का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन चुनौतियों के संबंध में दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **682** के भाग **(घ)** के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**मिशन आबंटन (2021-2026)**		**25.11.2024 तक उपयोग/जारी की गई धनराशि**	
	कुल	**एसडब्लूएम घटक**	**एसडब्लूएम घटक**	**कुल**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8.60	5.50	1.36	1.95
आंध्र प्रदेश	1413.30	458.10	111.78	298.68
अरुणाचल प्रदेश	129.00	33.20	4.61	28.73
असम	503.50	118.30	23.17	82.02
बिहार	1204.80	341.10	2.86	209.47
चंडीगढ़	45.20	28.50	18.86	23.75
छत्तीसगढ	727.30	200.10	3.38	209.67
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	31.20	4.80	0.06	0.18
दिल्ली	1192.60	1152.60	409.75	415.05
गोवा	77.80	12.30	2.58	7.72
गुजरात	1918.90	701.40	151.61	317.13
हरियाणा	645.70	226.90	1.86	13.46
हिमाचल प्रदेश	156.70	36.50	5.65	33.09
जम्मू और कश्मीर	429.90	131.70	32.92	97.46
झारखंड	519.00	174.90	0.84	52.42
कर्नाटक	2245.30	709.30	5.74	326.68
केरल	875.10	205.80	28.39	55.33
लद्दाख	62.70	19.00	0.14	2.66
मध्य प्रदेश	2200.20	617.50	84.76	467.19
महाराष्ट्र	3758.50	1438.10	273.28	791.81
मणिपुर	96.20	23.90	6.00	14.79
मेघालय	67.30	16.80	4.17	16.79
मिजोरम	82.50	22.20	5.55	19.93
नागालैंड	158.88	38.54	9.64	40.17
ओडिशा	821.40	209.80	61.39	285.17
पुदुचेरी	83.21	46.18	10.20	22.74
पंजाब	1054.20	294.20	84.04	216.49
राजस्थान	1765.80	541.80	61.63	252.08
सिक्किम	19.40	6.20	0.74	4.03
तमिलनाडु	3296.70	807.40	163.89	829.65
तेलंगाना	1067.30	381.90	130.70	393.78
त्रिपुरा	85.30	23.00	4.73	15.34
उत्तर प्रदेश	4073.80	1235.90	14.48	350.38
उत्तराखंड	343.40	89.00	28.64	32.68
पश्चिम बंगाल	1449.30	577.70	2.56	217.65